**न्यायालय अपर जिला जज, प्रथम, जौनपुर।**

**उपस्थित–अनिल कुमार यादव, प्रथम (एच०जे०एस०)**

**सिविल निगरानी सं०–156/2024**

**सी०एन०आर०सं०– UPJP010089952024**

1–त्रिभुवन पुत्र शिवमूरत उर्फ मूरत, निवासी चक बढ़वल, परगना गोपालापुर, तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर।

**...............निगरानीकर्ता**

**बनाम**

1–पार्वती पत्नी स्व० दयाशंकर
2–रवि प्रकाश
3–विष्णु प्रकाश
4–अश्वनी कुमार
5–सत्य प्रकाश
पुत्रगण स्व० दयाशंकर
निवासीगण चक बढ़वल, परगना गोपालापुर, तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर।
6–लक्ष्मन उर्फ लक्ष्मीकान्त पुत्र देवनन्दन
निवासी चक बढ़वल, परगना गोपालापुर, तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर।

**.......................विपक्षीगण**

**निर्णय**

प्रश्नगत सिविल निगरानी अवर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट नं० 20, जौनपुर द्वारा वाद संख्या–304/2010 दयाशंकर बनाम त्रिभुवन व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 29.11.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि आदेश अदालत मातहत खिलाफ कानून व असलियत के परे है। अदालत मातहत ने आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक अधिकारिता का ऐसा प्रयोग किया है, जो विधि में निहित नहीं है। अदालत मातहत ने पत्रवाली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री का बिना समुचित अवलोकन किये ही आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपने अधिकारिता का ऐसा प्रयोग में असफल रहा है, जो सी०पी०सी० में दी गयी व्यवस्थाओं के विपरीत व कानून के विरुद्ध हो गया है। निर्णीत पूर्ववर्ती वाद नं०–282/80 जदुनन्दन बनाम शिवमूरत व वर्तमान वाद में पक्षकारों के बीच प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद एक ही है। अदालत मातहत ने इस बिन्दु व विधि व्यवस्था की अनदेखी करके सरसरी तौर पर क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कार्य किया है, जिससे निगरानीकर्ता न्याय पाने से वंचित हो गया है। आदेश अदालत मातहत अपने अधिकारिता के बाहर जाकर अवैध रूप से व तात्विक अनियमितता से कार्य किया है, इसलिये आदेश मातहत अदालत काबिले खण्डनीय है। आदेश अदालत मातहत अन्य तमाम कारणों से निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मूलवाद सं० 304/2010 दयाशंकर बनाम त्रिभुवन आदि में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र 74क प्रस्तुत कर मुकदमा खारिज किये जाने की याचना की गयी है। उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में वादी द्वारा आपत्ति 75ग प्रस्तुत की गयी। उभयपक्ष को सुने जाने के पश्चात् विद्वान अवर न्यायालय ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 74क निरस्त कर दिया। विद्वान

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.13 16:47:44 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court
Jaunpur

अवर न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी संस्थित की गयी है।

निगरानी में निगरानीकर्ता की ओर से मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि निर्णीत पूर्ववर्ती वाद संख्या 282/2019 जदुनन्दन बनाम शिवमूरत व वर्तमान वाद में पक्षकारों के बीच प्रत्यक्षतः और सारतः वाद भूमि एक ही है लेकिन विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इस तथ्य की अनदेखी की गयी है। जहां तक निगरानीकर्ता की ओर से लिये गये उक्त आधार का प्रश्न है, प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी निजाई नं० 77/0.4090 हे० निशानी अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी एच ए के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है जबकि पूर्ववर्ती वाद आराजी संख्या 77 के केवल दक्षिणी भाग में रखे गये तीन मड़हे व उसके पूरब व पश्चिम की भूमि के सम्बन्ध में दाखिल किया गया था। पूर्ववर्ती वाद में मड़हे के उत्तर स्थित आराजी संख्या 77 के शेष रकबे के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं था। प्रस्तुत वाद आराजी निजाई संख्या 77 के शेष रकबे के सम्बन्ध में संस्थित किया गया है। इस प्रकार पूर्ववर्ती वाद और प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि भिन्न है। उल्लेखनीय है पूर्ववर्ती वाद वादी के पक्ष में न्यायालय द्वारा आज्ञाप्त किया गया था। यदि प्रतिवादी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत वाद और पूर्ववर्ती वाद की वाद भूमि सामान है तो उसे प्रस्तुत वाद भूमि पर वादी के स्वामित्व को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था जबकि प्रतिवादी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता द्वारा लिये गये उक्त आधार पर कोई विधिक बल नहीं पाया जाता है। निगरानीकर्ता की ओर से लिये गये अन्य आधार औपचारिक प्रकृति के है। विद्वान अवर न्यायालय पारित आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

## आदेश

निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट नं० 20, जौनपुर द्वारा वाद संख्या–304/2010 दयाशंकर बनाम त्रिभुवन व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 29.11.2024 की पुष्टि की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांक–13.03.2026**

**(अनिल कुमार यादव, प्रथम)**
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6112

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

**दिनांक–13.03.2026**

**(अनिल कुमार यादव, प्रथम)**
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6112